न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 80 / 2025 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025 / 152**
दायर दिनांक :– 09.04.2025 **निर्णय दिनांक :– 23.07.2025**

1. नैनाराम पुत्र नखताराम जाति मेघवाल निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी

वादी.......

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राज.)

प्रतिवादी.....

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री राजेन्दसिंह सोंलकी अधिवक्ता वादी

2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का इस आशय से पेश किया कि वादी की खातेदारी अधिकरों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 1341 रकबा 10.3923 हैक्टेयर भूमि सरहद मौजा लिखमासर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप में स्थित है। जमाबंदी सम्वत 2078–2081 संलग्न वाद पेश है। वादी का सही एवं वास्तविक नाम नैनाराम पुत्र नखताराम है लेकिन पटवारी हल्का द्वारा वादी का नाम अपनी मनमर्जी से नेनूराम पुत्र नखताराम दर्ज कर दिया जबकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम नैनाराम पुत्र नखताराम है तथा इसी नाम से ही वादी के पहचान संबंधित दस्तावेज परिचय पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक डायरी आदि बने हुवे है तथा वादी को इसी नाम से जाना व पहचाना जाता है। वर्तमान राजस्व अभिलेख में वादी का नाम नेनूराम पुत्र नखताराम दर्ज होने से वादी को के.सी.सी ऋण प्राप्त करने व अन्य कृषि संबंधित कार्य करने में भंयकर समस्याओं का सामना पड़ रहा है। वादी ने दिनांक 20.03.2025 को अपना नाम सही करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रतिवादी के समक्ष प्रस्तुत किया तो प्रतिवादी ने वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त करने से मना कर दिया तथा समक्ष न्यायालय में चाराजोही करने को कहा, इसलिये वादी उपरोक्त वर्णित खसरान् में दर्ज अपने गलत नाम नेनूराम पुत्र नखताराम के स्थान पर अपने सही एवं वास्तविक नाम नैनाराम पुत्र नखताराम के नाम खातेदारी की घोषणा करवाने की अधिकारिणी है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार बाप ने जवाब में कथन किया कि ग्राम लिखमासर के खसरा नम्बर 1341 रकबा 10.3923 हैक्टेयर भूमि के राजस्व अभिलेख में वादी का नाम नेनूराम पुत्र

23/7/25

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

नखताराम दर्ज है जबकि वादी के पहचान संबंधित दस्तावेज आधार कार्ड इत्यादि में नैनाराम पुत्र नखताराम के नाम से बने हुये है। इसलिये वादी को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर वादी को नेनूराम पुत्र नखताराम के स्थान पर नैनाराम पुत्र नखताराम के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित है। प्रतिवादी की ओर से वाद का विरोध नही होने से तनकियात कायम नही की गई। वादी के बयान पी.डब्लू–1 कलमबद्ध किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बहस में रखी गयी।

अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन, चिन्तन एवं मनन करने पर पाया गया कि जमाबंदी सम्वत 2076–2079 ग्राम लिखमासर के खसरा नम्बर 1341 रकबा 10.3923 हैक्टेयर स्थित है। वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में नेनूराम पुत्र नखताराम दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, वादी के बयान एवं तहसीलदार बाप के जवाब इत्यादि से साबित है कि वादी का नाम नैनाराम पुत्र नखताराम है। वादी ने अपने वाद को साबित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेजात एवं साक्ष्य सबूत पेश किये है। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचनानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम लिखमासर के खसरा नम्बर 1341 रकबा 10.3923 हैक्टेयर भूमि में वादी के राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम नेनूराम पुत्र नखताराम के स्थान पर नैनाराम पुत्र नखताराम के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कर पालना करे। डिकी पर्चा अलग से मुर्तिब हो। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

23/7/25

सहायक कलक्टर बाप (फलोदी)

([illegible]म पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. नैनाराम पुत्र नखताराम जाति मेघवाल निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी

वादी......

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राज.)

प्रतिवादी.....

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्या :– 80 / 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर राजेन्द्रसिंह सोंलकी मिनजानिब मुदई व पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि ग्राम लिखमासर के खसरा नम्बर 1341 रकबा 10.3923 हैक्टेयर भूमि में वादी के राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम नेनूराम पुत्र नखताराम के स्थान पर नैनाराम पुत्र नखताराम के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कर पालना करे।नीचे

मुतालिक खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर वसूल याबी तक	बाबत् फीस सदी सालाना आज की तारीख को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23.07.2025 को जारी की गई।

23/7/25

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

सहायक कलक्टर बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।